

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस**

प्रकरण सं० : 201/2020

1. सुरेन्द्र पुत्र मोहरसिंह जाति नाई निवासी मालकस त० भादरा।

:- वादी

**व नाम**

1. मोहरसिंह पुत्र चुनीराम जाति नाई निवासी मालकस त० भादरा।
2. बलवीर पुत्र मोहरसिंह जाति नाई निवासी मालकस त० भादरा।
3. भंवरी देवी पत्नी श्रवण जाति नाई निवासी मालकस हाल निवासी बनडा त० तारानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

**:- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री वंशीलाल शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता सं० 160/149 के खसरा सं० 64 की 0.5440है० खसरा सं० 65 की 4.6410है० खसरा सं० 116 की 1.1000है० खसरा सं० 144 की 2.5420है० खसरा सं० 146 की 4.4260है० खसरा सं० 161 की 10.7240है० खसरा सं० 258 की 0.5560है० खसरा सं० 362/146 की 0.0510है० कुल 24.5840है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह की बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूकिं प्रतिवादीया सं० 03 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं० 1 सुरेन्द्र प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी सं० 2 बलवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.3.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



**सहायक (सत्यनारायण)  
(फास्ट ट्रैक) भादरा**



**R.A.S.**

**सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)**

**भादरा, जिला हनुमानगढ़**

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 69/2019

1. बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

:- वादी

ब नाम

1. रामेश्वर पुत्र पतराम जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

2. सुनील पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।

3. कृष्णा पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा हाल निवासी रामसरा त० भादरा।

4. भतेरी पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा हाल निवासी रामसरा त० भादरा।

5. मूर्ति पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा हाल निवासी रामसरा त० भादरा।

6. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।



:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री बंशीलाल शर्मा: वादी

वकील श्री राममूर्ति ताखर : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 10.3.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं० 220/203 के खसरा सं० 409 की 2.7830 है० खसरा सं० 420 की 2.1380 है० खसरा सं० 468 की 0.3160 है० खसरा सं० 469 की 1.4670 है० कुल 6.7040 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वर के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के ही खाता सं० 248/260 के खसरा सं० 225 की 5.5660 है० खसरा सं० 297 की 5.4140 है० खसरा सं० 324 की 7.1600 है० खसरा सं० 707 की 4.1490 है० कुल 22.2890 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा पतराम की खातेदारी हुआ करती थी। पतराम के बाद उक्त कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को

उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा गयी बनाए मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ ईकवाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 6 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया तथा प्रतिवादी सं 7 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा ईकवाल दावा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में बंशीलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भाडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी खाता सं 220/203 व 248/260 प्रदर्श 1-2 जमाबंदी रोही पैतृक प्रदर्श 3-4 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी खाता सं 220/203 व 248/260 प्रदर्श 1-2 जमाबंदी रोही पैतृक प्रदर्श 3-4 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 3 ता 4 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 5 में वारिस प्रमाण के अनुसार रामेश्वर के दो पुत्र बंशीलाल, सनील व तीन पुत्रीयां कृष्णा, भतेरी, मूर्ति तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काशतकार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादीया सं 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 01 ता 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर दिया है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

### कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 220/203 के खसरा सं 409 की 2.7830 है 0 खसरा सं 420 की 2.1380 है 0 खसरा सं 468 की 0.3160 है 0 खसरा सं 469 की 1.4670 है 0 कुल 6.7040 है 0 बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रामेश्वर के नाम 1/6 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा भाडी के ही खाता सं 248/260 के खसरा सं 225 की 5.5660 है 0 खसरा सं 297 की 5.4140 है 0 खसरा सं 324 की 7.1600 है 0 खसरा सं 707 की 4.1490 है 0 कुल 22.2890 है 0 बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 रामेश्वर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं 1 रामेश्वर की बजाय वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के

स्वातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादीया सं० 3 ता 5 ने अपना हक  
हिरसा वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 के पक्ष मे त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए  
ज्यूती अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही  
उपरोक्तानुसार वादी सं० 1 बंशीलाल, प्रतिवादी सं० 1 रामेश्वर व प्रतिवादी सं० 2 सुनील  
को बहिरसा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।  
खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...10.3.21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सत्यनारायण)

R.A.S.  
सहायक क्लर्क (फास्ट-ट्रैक)  
(भादरा, जिला हनुमानगढ़)